हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
01/10/24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित।	

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी ने धारित भूमि ग्राम मोरी के खसरा नंबर 21 रकबा 0.29 हैक्टर की भूमि मे आवागमन के लिये रास्ता नही होने से ग्राम मोरी के खसरा नंबर 20 रकबा 36.88 हैक्टर में से नया रेकर्डेड रास्ता उपलब्ध करवाये जाने का निवेदन किया है। खसरा नंबर 20 की भूमि गैर मुमकिन गोचर दर्ज होने से सरपंच ग्राम पंचायत दूदनी ने प्राथमिक आपत्ति प्रस्तुत कर गोचर की भूमि में से रास्ता ग्राम पंचायत की बैठक में विचार विमर्श के पश्चात पारित निर्णय से ही तय हो पायेगा। इस संबंध में राजस्थान सरकार के राजस्व ग्रुप–3 विभाग द्वारा जारी परिपत्र कमांकः–प0 2(151)राज– 3 /2022 जयपुर दिनांक 03.02.2023 में वर्णित निर्देशों के अनुसार निजी खातेदार को संपरिवर्तन के लिये आवश्यक पहुंच मार्ग हेतु चारागाह भूमि में से रास्ता दिया जाना विधिसम्मत नहीं है। इस आशय के निर्देश जिला कलेक्टर सीकर को प्रदान किये हैं जिससे प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र भी गोचर भूमि में से रास्ता दिया जाना संभव नहीं होने से खारिज किया जाता हैं। परंतु प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में बताया गया है कि प्रार्थी कदीम से इस रास्ते से अपंनी खातेदारी भूमि में आना जाना करते है। वहां किसी व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण कर रखा है। जिस कारण उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः तहसीलदार बाली को निर्देश दिये जाते है कि इस संबंध में जांच कर क़दीम से चल रहे रास्ते में यदि कतिपय व्यक्तियों का अतिक्रमण पाया जाता है तो इस संबंध में नियमानुसार उन अतिकमियों के विरूद्ध कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी * बाली, जिला - पाली (राज.) *

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner